राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी सतेन्द्र सहित अधिवक्ता श्री भवगती

राजौरिया उप0।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है। उपार्पण तर्क श्रवण किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र मालनपुर द्वारा अपराध कमांक 108/17 अंतर्गत धारा 363, भा.द.सं के अधीन अभियोग पत्र आरोपी सतेन्द्र उर्फ करूआ जाटव पुत्र भूपसिंह जाटव उम्र 19 वर्ष निवासी ककरानी पुरा हाल सिंगवारी मालनपुर जिला भिण्ड के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या आरोपी के विरूद्ध धारा 363, भा.द.सं के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है जो अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः धारा 209 द.प्र.सं के अधीन प्रकरण माननीय सत्र न्यायायलय भिण्ड में उपार्पित किया जाता है।

आरोपी को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण में आरोपी जमानत पर है अतः आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत दिनांक 26. 09.17 पर प्रातः 11:00 बजे माननीय प्रथम अपर सन्न न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। उपार्पण की सूचना जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड एवं थाना प्रभारी मालनपुर को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सन्न न्यायालय भिण्ड को प्रेषित

किया जावे।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद